अध्याय XX : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता

20.1 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा अनुबंध मांग के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड को विद्युत प्रभार के प्रति भुगतान के कारण ₹ 53.96 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

विद्युत कनेक्शन पाने को इच्छुक संस्थान को वितरण लाइसेंसधारक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ भार का अनुमान के आधार के साथ भार की आवश्यकता भी शामिल है। वितरण लाइसेंसधारक के इंजीनियरों की साइट पर विज़िट के आधार पर, अनुबंध की मांग को स्वीकृति दी जाती है तथा संस्थानों को निर्धारित अग्रिम राशि जमा करने की आवश्यकता होती है तथा संस्थान और वितरण लाइसेंसधारक के बीच समझौता किया जाता है। वास्तविक खपत/अनुमानों के आधार पर संस्थान एक वर्ष में एक बार अनुबंध की मांग को बदल सकता है। अनुबंध मांग में कमी के लिए, उपभोक्ता को प्रसंस्करण शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म में आवेदन तथा स्वीकृत मांग में कमी के लिए विद्युत ठेकेदार की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता (आईएसआई) के पास विद्युत आपूर्ति के लिए कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीईएससी) के साथ 650 के डब्ल्यू की एक अनुबंध मांग थी। समझौते के अनुसार, मांग प्रभार एक महीने में दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग पर या अनुबंध की मांग का 85 प्रतिशत, जो समय-समय पर लागू वास्तविक उपभोग के प्रभारों के साथ उच्चतर दर पर है, पर लगाया जाता है।

विद्युत भार के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि जनवरी 2013 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान अनुबंध की मांग की तुलना में बिजली की खपत की अधिकतम मांग निरंतर 73 प्रतिशत से घटकर 97 प्रतिशत तक हो

गई है। अप्रैल 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, आईएसआई ने अनुबंध मांग 350 के डब्लयू कम कर दिया (जून 2016)। यद्यपि, जून 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान, अनुबंध मांग की तुलना में अधिकतम मांग 59 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक कम थी। जनवरी 2014 में 200 के डब्ल्यू अनुबंध मांग का निर्धारण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.96 लाख (₹ 46.84 लाख की बिलिंग मांग तथा ऊर्जा खपत की कमी पर ₹ 7.12 लाख भार फैक्टर अधिभार) का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 2017 में सूचित किया गया था उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।